

परियोजना पंजीयन वापसी पर अस्वीकृति हेतु सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक नोटिस

प्रोमोटर मेसर्स <Promoter_Name> द्वारा अपनी पंजीकृत परियोजना <Project_Name> रेरा पंजीकरण संख्या <RERA_Registration_No> का पंजीयन वापसी हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त खारिज कर दिया गया है। प्रोमोटर को रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

सचिव

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण



(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
2. मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3. मा. न्यायनिर्णायक अधिकारीगण, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4. विधि सलाहकार एवं तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. संयुक्त सचिव एवं उप सचिव, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6. समस्त प्रोमोटर्स एवं एजेन्ट्स को अनुपालनार्थ।
7. सहायक निदेशक, सिस्टम्स, उ.प्र. रेरा को इस आशय से प्रेषित कि सूचना उ.प्र. रेरा पोर्टल के पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित करायें।
8. मीडिया कंसल्टेंट, उ.प्र. रेरा को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय-आदेश में वर्णित प्राविधानों एवं निदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें।
9. अन्य सभी सम्बन्धित।
10. गार्ड फाइल।



(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

सचिव